संख्या– / XVIII(II) / 2018–03(39) / 2016

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 09 जुलाई, 2018

विषयः–ग्राम रानीपोखरी, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून में पूर्व सैनिकों के लिये ई0सी0एच0एस0 पॉलिक्लीनिक हेतु 0.0700 है0 भूमि सःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–176 / 12ए–2014(2014–17)डी0एल0आर0सी0, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा पत्र संख्या–434 / 12ए–204(2014–17)डी0एल0आर0सी0, दिनांक 31 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व सैनिकों के लिये ई0सी0एच0एस0 पॉलिक्लीनिक हेतु ग्राम रानीपोखरी ग्रान्ट, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के खाता संख्या–1105 के खसरा नं0–1ग रकबा 0.0700 है0, श्रेणी–5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि आवंटन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम रानीपोखरी ग्रान्ट, परगना, परवादून, तहसील, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के खाता संख्या–1105 के खसरा नं0–1ग रकबा 0.0700 है0, श्रेणी–5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1, दिनांक 09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115 / XVII(II) / 2016–18(184) / 2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत

....2

नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–09–05–1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) पट्टे का प्रतिवर्ष नवीनीकरण निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष लीज रेन्ट वृद्धि भी विचारणीय होगी जो एक से डेढ गुना कम नहीं होगी।

(8) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(9) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(10) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(11) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

....3

(12) उक्त भूमि का आवंटन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मा0 न्यायालयों के दिशा–निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप होगी।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या– 938 /XVIII(II)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।